न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 149/2018

-: प्रार्थी :- बनाम -: अप्रार्थी :-

-: प्रार्थी :-	-: अप्रार्थी :-
1. पृथ्वीराज पुत्र रामप्रसाद जाति-सोनी, निवासी-धनेरियां तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)	1. तहसीलदार जैतारण, जिला-पाली (राज.) 2. ताराचंद पुत्र रामप्रसाद 3. दिलीप पुत्र रामप्रसाद 4. छोटीदेवी पत्नी रामप्रसाद जातियान-सोनी, निवासीगण-धनेरियां, तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.13/06/2018

उपस्थितः-

1. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 18/02/2019**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ण्ववं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-धनेरियां, पटवार हल्का-केकिन्दड़ा, भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र आ.कालु, तहसील-जैतारण में वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 73 रकबा 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसकी नकल जमाबंदी संवत् 2070-2073 की प्रमाणित फोटो प्रति दावे के साथ पेश है जिसे दावे का एक भाग माना जावे। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि जरिये बैचान रजिस्ट्री खरीद की उस समय वादी का घर का बोल चाल का नाम बुलराज दर्ज करवा दिया था जो वादी का घर का नाम बुलराज पुत्र रामप्रसाद कौम सुनार दर्ज है। जो कि रोंग एन्ट्री है वादी का नाम रिकॉर्ड मे पृथ्वीराज पुत्र रामप्रसाद है। जिस बाबत् आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, राजस्थान सरकार का परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति दावे के साथ पेश की जा रही है। जिसे दावा का एक भाग माना जावे। वादी का सही नाम पृथ्वीराज ही है जो सभी दस्तोवजात से स्पष्ट है। दिनांक 28/05/2018 को पटवारी हल्का केकिन्दड़ा को नाम दुरूस्ती बाबत् निवेदन किया लेकिन पटवारी हल्का ने मना कर दिया व कहा कि एसडीएम कोर्ट से आदेश लेकर आओं। उसके बाद वादी को श्रीमान के न्यायालय में घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का वाद पेश करने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं होने के कारण से यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी राजस्थान सरकार के कर्मचारी व अधिकारी है इनके विरूद्ध दावा करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना जरूरी होता है लेकिन दावा आवश्यक प्रकृति का होने से यह वाद बिना नोटिस दिये ही पेश किया जा रहा है न्यायालय की अनुमति बाबत् धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। बिनाय दावा दिनांक 28/05/2018 को प्रतिवादी द्वारा नाम में संशोधन करने अर्थात् बुलराज पुत्र रामप्रसाद के स्थान पर पृथ्वीराज पुत्र रामप्रसाद करने से मना करने पर बमुकाम जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

इस प्रकार प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने तथा प्रार्थी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हिस्सा को दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस वास्ते जबाब प्रा. पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण / पटवारी हल्का ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम धनेरिया में रामप्रप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनाराण के तीन पुत्र हैं ताराचन्द, दिलीकुमार एवं पृथ्वीराज जिनमें दुलराज या बुलराज का कोई पुत्र नही हैं। पृथीराज को बचपन में बुलराज के नाम से पुकरा करते थे। पृथ्वीराज के सभी दस्तावेज पृथ्वीराज के नाम से बने हुये हैं। बुलराज पुत्र रामप्रसाद के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम धनेरिया में नही हैं।

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करते समय सहखातेदार को पक्षकार संयोजित नही करने से सहखातेदार पक्षकार संयोजित कर तलब किया गये। सहखातेदार ताराचन्द, दिलीकुमार एवं छोटी बावजुद सम्मनस् तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वाद के समर्थन में वादी ने स्वंय का एवं गवाह के साक्ष्य शपथ पत्र पेया किया, सा0मि0 किया गया।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण / पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः उक्त आराजी खरीद करते समय वादी के बोलते नाम बुलराज से खरीद की हैं जबकि सही व वास्विक नाम पृथ्वीराज हैं। साक्ष्य के रूप में वादी राशनकार्ड 200001057388, आधार कार्ड 908564365439 एवं भारत निर्वान आयोग का पहचान पत्र तथा बैंक की डायरी की प्रतिया प्रस्तुत की हैं। जिससे साबित हैं कि वादी का सही व वास्तविक नाम पृथ्वीराज ही हैं। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नाम बुलराज के स्थान पर सही व वास्तविक नाम पृथ्वीराज राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-धनेरियां, पटवार हल्का-केकिन्दड़ा, भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र आ.कालु, तहसील-जैतारण में वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 73 रकबा 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बुलराज गलत दर्ज के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम पृथ्वीराज दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। डिक्री पर्चा पृथक से लिखा जाकर सा0मि0 किया गया। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 18/02/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)